




टीकूराम पुत्र पूराराम
जाति जाट
निवासी सारणों का तला,आडेल
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

अज अदालत
फर्द अहकाम
(नियम 26)
बनाम

धनाराम पुत्र पूराराम वगैरा
जाति जाट
निवासी सारणों का तला,आडेल
तहसील व जिला बाड़मेर
मुकदमा सख्या 03 /2020

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
12.2.2020	<p>यह वाद वादी की ओर से अधिवक्ता श्री बाबुलाल विश्नोई द्वारा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते-प्रतिवादीगण की तलबी व जवाब दिनांक 18.03.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर अहकाम (S.D.O.) सिणधरी सिणधरी</p>	
18.3.2020	<p>वकील वादी उपरोक्त प्रतिवादीगण की शर्तों के अन्तर्गत एड कम्पान एलडी पेटा करें। आपकीपक्षा में डाक्टरम कोर्ट में द्वारा प्रतिवादी कालका । से 3 की तरफ से कालका पेटा कालका जका/ जो शर्तों में कालका से/ पत्रावली वास्ते- जवाब हो, दिनांक 22.4.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिणधरी</p>	
22.4.2020	<p>वकील वादी अनुपस्थित/ P0 काहल दिनांक प्रशासनिक कार्यों (कोरोना वायरस रोकथाम) में कालका है। पत्रावली वास्ते- जवाब हो दिनांक 03.6.2020 को पेश हो।</p>	

डिजिटल जाता है। पत्रावली दिनांक 15/7/24 को
प्रेषित है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) गुडामालानी

15/7/24- पत्रावली काठ प्रेषित हुई। वकूलाय पक्षकारानु
रनुपस्थित पक्षकारानु को मध्य कक्षिकता
कोई समय में तीव्र कार तीव्र-तीव्र काको
दिलाने गरी। वावजूद काको दिलाने
के अनुपस्थित रहने से उक्त
उक्त प्रकरण पक्षकारानु से उक्त एका
व उक्त प्रेषित के कारिक किताजा
है। पत्रावली निरीय सुगाए डेकर दखिल
इफतार है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) गुडामालानी